राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 जून, 2009 / 19 ज्येष्ठ, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अप्रैल, 2009

संख्या एस.जे. ई.–ए(3)6 / 2006.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग में प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

———————

उपाबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	**पद का नाम**	प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि बाधित)
2.	**पदों की संख्या**	2 (दो)
3.	**वर्गीकरण**	वर्ग–III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय
4.	**वेतनमान**	4550–150–5000–160–5800–200–7000–220–7220 रुपए
5.	**चयन पद अथवा अचयन पद**	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु**	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञये हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर,निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.–– (क) **अनिवार्य अर्हताएं.––**(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षा(दृष्टि वाधित) में डिप्लोमा सहित दस जमा दो ।

(ii) अभ्यर्थी आर.सी.आई. से अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो।

(ख) **वांछनीय अर्हताएं.––**(i) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.––आयु––लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्वति––भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या सविदा के आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––लागू नहीं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–– सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में, प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि वाधित) को प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमादन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉव) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि वाधित) को 6825 / – रुपए की संविदात्मक उपलब्धियां (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएंगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 150 / – रुपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल पदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–खके अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(vii) निबनधन ओर शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 6825 / – रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 150 / – रुपए की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त, व्यक्ति कर्तव्य (ड्यिूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए सविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त होगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः नरीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.––इन नियमों के अधीन सदि के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में प्राथमिक अध्यापक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध–ख

प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि बाधित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली सविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती.....पुत्र / पुत्री श्री.....निवासी..... .....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मध्य, आज तारीख..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि वाधित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:––

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्राथमिक अध्यापक (दृष्टि वाधित) के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा वेतन 6825 / – रुपए प्रतिमास होगा । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो 150 / – रुपए की वार्षिक वृद्धि दी जाएगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

6. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त, व्यक्ति कर्तव्यों (ड्यिूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

[*Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A(3)6/2006, dated 29th April, 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 29th April, 2009

No. SJE-A(3)6/2006.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Primary Teacher (Visually Impaired) Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Primary Teacher (Visually Impaired) Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order,
Sd/-
Pr. Secretary.

———————

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRIMARY TEACHER (VI) (Non-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1.	**Name of the Post**	**:**	Primary Teacher (Visually Impaired)
2.	**Number of posts**	**:**	2 (Two)
3.	**Classification**	**:**	Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial
4.	**Scale of pay (be given in expanded notation).**	:	Rs. 4550-150-5000-160-5800-200-7000-220-7220
5.	**Whether Selection or Non-Selection post:**	:	N.A.
6.	**Age for direct recruitment**	:	Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.— ESSENTIAL**.—(**i) 10+2 with Diploma in Special Education(Visual impairment) at Primary level from a recognized institute.

(ii) The candidate must be registered with RCI

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—(i) At least two years teaching experience in the related field.

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.—*Age*.—N.A

Educational qualification.—N. A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N. A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of *viva-voce* test and if Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board or other recruiting agency as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15 A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—(i) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Primary Teacher (V.I.) in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. SSSB.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(ii) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Primary Teacher(V.I.) appointed on contract basis will be paid contractual emoluments @ Rs. 6825/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs. 150/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(iv) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* HPSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUALAPPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6825/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 150/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Sch. Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—N.A.

18. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Primary Teacher (VI)_____& the Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....between
Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o.....
.....
.....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Impowerment Himachal Pradesh(here-in-after called (the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a ..Primary Teacher (VI)..... on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Primary Teacher (Visually Impaired).....for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on..... And information notice shall not be necessary.

2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs. 6825/- P.M. with annual increase of Rs. 150/- if contract is extended beyond one year.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the appointee.....on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contractual..appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of pay scale.

10. The Employees Group Insurance as well as EPF/GPF Scheme will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 अप्रैल, 2009

संख्या एस.जे.ई.–ए(3)15 / 2005.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसखं यक अधिसूचना तारीख 17–10–2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सेगणक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, संगणक, वर्ग–III, (अराजपत्रित), भर्ती आरै प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संगणक, वर्ग–III, (अराजपत्रित), भर्ती आरै प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध "क" में :–

(क) स्तम्भ संख्या–7 (i) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः––

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य" ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English Text of this department notification No SJE-A(3)15/2005, dated 24th April, 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India*].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 24th April , 2009

No. SJE-A(3)15/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh,in consultation with the H.P Public service commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Computer, Class-III (Non-Gazetted), Rules, 2008 notified *vide* this department Notification of even number dated 17-10-2008 namely:—

1. *Short title and Commencement*.—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Computer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure-A.*—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Computer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2008:—

(a) for the existing provisions against Col.No.7(i), the following shall be substituted, namely:—

"Should have passed 10+2 Examination or its equivalent from a recognized University/Board".

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

————

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 24 अप्रैल, 2009

संख्या एस0जे0ई0–ए(3)2 / 2007.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण वाधित) विज्ञान, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित–
प्रधान सचिव।

————————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान

2. **पदों की संख्या.**––1 (एक)

3. **वर्गीकरण.**––वर्ग–III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय

4. **वेतनमान (विस्तृत रूप में वर्णित करें).**––5480–160–5800–200–7000–220–8100–275–8925 रुपये

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**––लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थी को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए

थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है / किए गए थे ।

टिप्पणी.––(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––अनिवार्य अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हो।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा (श्रवण वाधित) में बी0एड0 या पी0जी0डी0पी0–एस0ई0 (श्रवण वाधित) (विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा) सामान्य / विशेष बी0एड0 सहित ।

(iii) अभ्यर्थी आर0सी0आई0 से अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो।

वांछनीय अर्हताएं.––(i) सम्बन्धित क्षेत्र में अध्यापन का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं : प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.––आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.––लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––लागू नहीं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं

चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––(I) संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण वाधित) विज्ञान को प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉव) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान को 8220 / – रुपये की संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक आरम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 160 / – रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(III) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(IV) संविदात्मक पर नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(V) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VI) निबन्धन औरैर शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 8220 / – रुपये की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के आरम्भिक आरम्भ जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 160 / – रुपये की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समाप्ति) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिक्त्सिा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.––इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

––––––––

उपाबन्ध–ख

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण वाधित) विज्ञान और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप

यह करार श्री / श्रीमती.....पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के मध्यम से आज तारीख.....को किया गया । द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रक्षिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) विज्ञान के रूप में..... से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा रकम 8220 / – रुपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूणतया बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक पद नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

5. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

6. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदात्मक पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा ।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिक्त्सिा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[*Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A*(3)2/2007, *dated* 29*th April*, 2009 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the constitution of India.*]

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 29*th April*, 2009

No. SJE-A(3)2/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Trained Graduate Teacher (Hearing Impaired) Science, (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Trained Graduate Teacher (Hearing Impaired) Science, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAIND GRADUATE TEACHER (HEARING IMPAIRED) SCIENCE (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. *Name of the Post.*—Trained Graduate Teacher (Hearing Impaired) Science

2. *Number of posts*.—1 (one)

3. *Classification.*—Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial

4. *Scale of pay (be given in expanded notation).*—Rs. 5480-160-5800-200-7000-220-8100-275-8925.

5. *Whether Selection or Non-Selection post.*—N.A.

6. *Age for direct recruitment.*—Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits.*—**(a) ESSENTIAL :** (i) B.Sc. from a recognized University.

(ii) B.Ed. in Special Education (HI) from recognized University OR (PGPDSE) (HI) (Post Graduate Professional Diploma in Special Education) With General/Special B.Ed.

(iii) The candidate must be registered with RCI

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS.—(i) At least two years teaching experience in the related field.

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.*—**Age :** N.A.

Educational qualification.—Not Applicable

9. *Period of probation, if any.*—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be record in writing.

10. *Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.*—(ii) 100% By Direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. *In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made*.—N.A.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.*—N. A.

13. *Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.*—As required under the law.

14. *Essential requirement for direct recruitment.*—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment*.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15 A. *Selection for appointment to the post by contract appointment*.—(i) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Trained Graduate Teacher (HI) Science in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. SSSB.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these rules.

(d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(ii) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Trained Graduate Teacher (H.I.) Science appointed on contract basis will be paid contractual amount @ Rs. 8220/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs. 160/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(iv) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* HPSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8220/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 160/- per annum for second and their years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporally unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption in the Department at any stage.

16. *Reservation.*—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Departmental Examination*.—N.A.

18. *Powers to Relax.*—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

———

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Trained Graduate Teacher (HI) Science & the Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri.....R/o..... ....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Empowerment Himachal Pradesh(here-in-after called the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (HI) Science on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Trained Graduate Teacher (HI)Science.....for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on..... And information notice shall not be necessary.

2. The contract emoluments of the FIRST PARTY will be Rs. 8220/- P.M. with annual increase of Rs. 160/- if contract is extended beyond one year.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the appointee.....on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contractual..appointee.....shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

_____

H.P. P.S.C. Form 21-A

(Referred to in paras 3.4(i), 3.4(v) and 3.5)

To be filled by the department while forwarding proposals to the Himachal Pradesh Public Service Commission for framing Recruitment Rules for posts/services.

1.	(a) Name of the post	Trained Graduate Teacher (HI) Science
	(b) Name of the Department	Social Justice & Empowerment
	(c) Number of posts	1 (one)

	(d) Scale of pay	5480-160-5800-200-7000-220-8100-275-8925.
	(e) Class and service to which the post belongs	Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial
	(f) Ministerial or non Ministerial (cf F.R.9(17)	Non-Ministerial
	(g) Whether scientific, technical or connected with research (cf para 7 of Brochure on Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes)?	-----
	(h) Whether technical, quasi-technical or non-technical(cf para 23 of the Brochure on Reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes)?	Non-technical
2	Job description *i.e.* factual statement of the duties and responsibilities of the job.	Teaching
3.	(a) Describe briefly the method(s)adopted for filling in the post.	On fixed salary
	(b) Method(s) of recruitment proposed to be prescribed in the rules,	100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis.
4.	If promotion is proposed as a method of recruitment:	N.A.
	(a) Designation, pay scale and number of the posts proposed to be included in the field of promotion.	---
	(b) Number of years of qualifying service proposed to be fixed before persons in the field become eligible for promotion.	----
	(c) Percentage of vacancies in the grade proposed to be filled by promotion.	-----
	(d) Percentage in (c) above. (e) Have recruitment rules been framed for the posts proposed in the field of promotion? If framed in consultation with the Commission, please quote Commission's reference. If consultation with the Commission was not required, please attach a copy of the rules framed.	--- ---
	(f) If recruitment rules were not framed for the posts in the field of promotion.	---
	(i) Please indicate briefly the method of recruitment actually adopted for filling the posts. Please also state the percentage of vacancies filled by each of the methods.	-----
	(ii) Please state briefly the educational qualifications generally possessed by the persons in the field of promotion.	------
	(g) Whether other channels are available for promotion of incumbents of posts mentioned in 4(a) above, if any?	-----
	(h) Mention other posts bearing the payscale given in 3(a) above.	-----
	(i) Why incumbents of these posts are not being considered for promotion?	------
	(j) (i) Is the promotion to be made on selection or non selection basis?	----

	(ii) Reasons for the proposal in (i)above.	----
	(k) Constitution of Departmental Promotion Committee.	----
5.	If promotion is not proposed as a method, please state reasons therefore.	So that young and energetic candidates could be appointed to impart better and updated education to the children of the Home.
6.	If a direct recruitment is proposed as a method of recruitment, please state:-	
	(a) Percentage of vacancies proposed to be filled by direct recruitment.	100%
	(b)(i) Age for direct recruitment.	Between 18 & 45 years.
	(ii) Is age relaxable for Government	Yes.
	Servants?	
	(c) Minimum educational and other qualifications including experience required for direct recruits (it may please be noted that age and experience prescribed are relaxable at the Commissions discretion in case of candidates otherwise well qualified:	
	(i) Essential:	i) B.Sc. from a recognized University. ii) B.Ed. in Special Education (HI) from recognized University. iii) The candidate must be registered with RCI.
	(ii) Desirable:	At least two years teaching experience in the related field.
	(d) Has the post been advertised by the Commission in the absence of rules? If so, please quote Commission's reference and date.	No.
7.	If direct recruitment is not proposed as one of the methods please state the reasons therefore.	N.A.
8.	(i) If promotion and direct recruitment are both proposed as methods of recruitment will the educational qualifications proposed for direct recruits apply to the persons eligible for promotion.	N.A.
	(ii) If not/what extent are the educational qualifications proposed to be relaxed in case of such persons.	----
	(a) Is deputation/transfer proposed as one of the methods of recruitment? If so reasons therefore	No.
	(b) The percentage of vacancies proposed to be filled by this method.	---
	(c) Duration of period of deputation proposed.	---
	(d) The names of the posts or grades or services etc. from which deputation/transfer is proposed to be made.	---

	(e) Pay-scale of these posts.	----
10.	In the event of failure of above method(s)the method proposed to be adopted.	----
11.	If these proposals are being sent in response to any reference from the Commission, please quote Commission's letter number and date special circumstances, if any, other than covered by the rules in which the Commission is required to be consulted.	----
12.	Name, address and telethone number of the Government officer who may be contacted for discussion, clarification or for further information.	Abdul Wahid Khan, Joint Secretary (SJ&E) to the Govt. of H.P.

Joint Secretary (SJ&E) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
Signature and designation of the officer
Sending the proposal.

Date----------
Place----------

————————

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला––2, 7 मार्च, 2009

संख्या एस.जे.–ए (3)11 / 2005.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 4–3–2008 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधीक्षक (गृह), वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधीक्षक (गृह), वर्ग–II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **उपाबन्ध 'क' का संशोधन.––**(1) हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अधीक्षक (गृह), वर्ग–II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध 'क' में:––

(क) स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थातः––

"सहायक अधीक्षक (गृह)' में से प्रोनन्ति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो'।

पदों को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः––

पहला, दूसरा और तीसरा पद	सहायक अधीक्षक (गृह) के लिए
चौथा पद	सीधी भर्ती के लिए

रोस्टर प्रत्येक चौथे पद के पश्चात् दोहराया जाएगा ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या उपलब्धता के अध्याधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुगर्म क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.––उपरोक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए के कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.––उपरोक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:––

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी व भरमौर उप–मण्डल ।
3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़, और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भालौना और सांगना पटवार वृत्त आरै शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिले में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा़ गोसाई, मठियानी, घनियाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झाड़वाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ढैला, रोपा, कथोग, सिलह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

(1) प्रोनन्ति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमें में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन

रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल / तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एव प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English Text of this department notification No. SJE-A(*3)11/2005, *dated* 7*th March*, 2009 *as required under clause (*3*) of Article* 348 *of the constitution of India*].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 7*th March*, 2009

No. SJE-A (3) 11/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public service commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Superintendent (Home), Class-II (Non-Gazetted),

Recruitment and Promotion, rules, 2007 notified *vide* this department Notification of even number dated 4-3-2008 namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Superintendent (Home), Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2009.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Superintendent (Home),Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2007:—

For the existing provisions against Col. No.11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Asstt. Supdt. (Home) who possess 3 years regular service or regular combined with continous *adhoc* service in the grade.

The following roaster shall be followed for filling up of posts:—

1, 2, 3rd post.	Asstt. Supdt. (Home)
4th post.	Direct Recuritment.

The roaster will be repeated after every 4th posts.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules, provided that:—

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(3) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 फरवरी, 2009

संख्या एस.जे.ई.–ए (3) 4 / 2005.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 19–3–2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग–II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग–II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

उपाबन्ध 'क" का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिला कल्याण एवं परिवीक्षा अधिकारी, वर्ग–II (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध 'क" में :––

(क) स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखा जाएगा, अर्थातः–

तहसील कल्याण अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या उपलब्धता के अध्याधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगो जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुगर्म क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.––उपरोक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए के कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.––उपरोक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुगर्म क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः––

1. जिला लाहौल–स्पिति ।
2. जिला चम्बा का पांगी व भरमौर उप–मण्डल ।
3. रोहडू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।

9. मण्डी जिले में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप–तहसील के गाड़ा गोसाई, मठियानी, घनियाड, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झाड़वाड, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

प्रोनन्ति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल; तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएगे ।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अर्न्गत भर्ती किया गया है और इनक` अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम –3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपरोक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[*Authoritative English Text of this department notification No. SJE-A(*3*)*4/2005*, dated* 7*th February,* 2009 *as required under clause (*3*) of Article* 348 *of the constitution of India*].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 *the,* 7*th February,* 2009

No. SJE-A(3)4/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public service commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, District Welfare-*cum*-Probation Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007 notified *vide* this department Notification of even number dated 19-3-2008 namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, District Welfare-*cum*-Probation Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) Rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, District Welfarecum-Probation, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2007:—

(a) for the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

By promotion from amongst the Tehsil Welfare Officer who possesses 6 years regular service or regular combined with continuous adhoc Service, if any in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I *supra* the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post , if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules, provided that: —

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service/ appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 14 जनवरी, 2009

संख्या एस0जे0ई0–ए(3) 8 / 2005.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 01–11–2008 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तहसील कल्याण अधिकारी, वर्ग–II (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवम् प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तहसील कल्याण अधिकारी, वर्ग–II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तहसील कल्याण अधिकारी, वर्ग–II (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 के उपाबन्ध "क" में :–

(क) स्तम्भ संख्या–11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिख्ति रखे जाएंगे, अर्थातः––

(i) तीस प्रतिशत, वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(ii) बीस प्रतिशत, पर्यवेक्षकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

प्रोन्नति और सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस बिन्दू रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः––

वरिष्ठ सहायक :	पहला, पांचवां नवां
पर्यवेक्षक :	दूसरा और छठा
सीधी भर्ती :	तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां और दसवां
(10 बिन्दू रोस्टर)	

प्रत्येक 10वें पद के पश्चात् रोस्टर दोहराया जाएगा जब तक सभी वर्गों को दी गई प्रतिशतता के अनुरूप प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात् रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिस द्वारा पद रिक्त हुआ हो।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाचं वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–I.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में लिए "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण–**II.––**उपरोक्त परन्तुक के प्रयोजन हेतु जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं :–

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. जिला चम्बा का पांगी व भरमौर उप–मण्डल ।
3. रोहडू उप–मण्डल में डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. शिमला जिला के रामपुर तहसील की ग्राम पंचायतों में पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल में बड़ा भंगाल का क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिले में उप–तहसील भलाध भलोना के वृतों कमरउ का कथवाड़ और कोरगा पटवार और रेणुकाजी तहसील के संगना पटवार वृत्तों और शिलाई तहसील का कोटा पब पटवार वृत।
9. मण्डी जिले में करसोग तहसील में खनयोल बगड़ा वृत, उप–तहसील बाली चौकी में गाड़ा गुसैणी। मथियानी, घनियार, थाची, बागी, सोमगढ़ और खोलानाल, तहसील पधर में झरवार, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ, ट्राईला, रोपा, कथोग, सिलह बघवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेहड़ पटवार वृत्त, तहसील थुनाग में चिउनी, कालीपर, मंगराह, थाच बागड़ा, उत्तर मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों मे, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English Text of this department Notification No. SJE-A(3)8/2005, dated .....as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.*].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 14*th January*, 2009

No. SJE-A(3)8/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh,in consultation with the H.P. Public service commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Tehsil Welfare Officer,Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, rules, 2008 notified *vide* this Department Notification of even number dated 01-11-2008 namely:—

(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Tehsil Welfare Officer, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion (first amendment) rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Tehsil Welfare Officer, Class-II (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion, rules, 2008:—

(*a*) for the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

(i) 30% By promotion from amongst the Sr. Assistants having five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade.

20% by promotion from amongst the Supervisors having 8 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade.

For the purpose of promotion & direct recruitment the following 10 point roster will be applied :

Senior Assistant : 1, 5, 9
Supervisor : 2 & 6
Direct recruitment : 3, 4, 7, 8 & 10.
(10 point roster)

The roster will be rotated after every 10 point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter the vacancy is to be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra,

North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post , if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the *adhoc* appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules.

(*i*) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemenrecruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 मई, 2009

संख्या एस0जे0ई0–ए(3)5 / 2006.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श, से

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनाते हैं, अर्थात :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

उपाबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित) वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	**पद का नाम :**	प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित)।
2.	**पदों की संख्या :**	2 (दो) ।
3.	**वर्गीकरण :**	वर्ग–**III** (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय
4.	**वेतनमान :** (विस्तृत रूप में वर्णित करें)	4550–150–5000–160–5800–200–7000–220–7220 रुपए।
5.	**चयन पद अथवा अचयन पद :**	लागू नहीं।
6.	**सीधी भर्ती के लिए आयु :**	18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशें के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––

(क) अनिवार्य अर्हता:–(i) मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक स्तर पर विशेष शिक्षा (श्रवण वाधित) में डिप्लोमें सहित दस जमा दो परीक्षा पास की हो।

(ii) अभ्यर्थी आर0सी0आई0 से अवश्य रजिस्ट्रीकृत हो।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.––(i) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यानप (शिक्षण) अनुभव हो।
(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.––आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.–दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्वति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा.––लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––लागू नहीं।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.–– जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, में प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित) को प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा(जॉव) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त प्राथमिक अध्यापक (श्रवण वाधित) को 6825 / – रुपए की संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 150 / – रुपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को 6825 / – रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 150 / – रुपए की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ड.) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यिूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिक्त्सिा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर

पर अनुपयुक्त रहेगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.––इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

उपाबन्ध–ख

प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री श्री ..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :––

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्राथमिक अध्यापक (श्रवण बाधित) के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार का संविदा वेतन 6825 / – रुपए प्रतिमास होगा।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समापन) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा ।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्यों (ड्यिूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा ।

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदा नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of this department notification No. SJE-A(*3)5/2006, *dated* 23*rd May,* 2009 *as required under clause (*3*) of Article* 348 *of the Constitution of India.*].

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 23*rd May*, 2009

No. SJE-A(3)5/2006.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Primary Teacher (Hearing Impaired), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Primary Teacher (Hearing Impaired) Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

———

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRIMARY TEACHER (HEARING IMPAIRED) (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post :** Primary Teacher (Hearing Impaired)

2. **Number of posts :** 2 (Two)

3. **Classification :** Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial

4. **Scale of pay :** Rs. 4550-150-5000-160-5800-200-7000-220-7220.
(be given in expanded notation)

5. **Whether Selection or Non-Selection post :** N.A.

6. **Age for direct recruitment :** Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the generalor special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

(*i*) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(*ii*) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits :

(a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

(*i*) 10+2 with Diploma in Special Education (Hearing Impaired) at Primary level from a recognized institute.

(*iii*) The candidate must be registered with RCI

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS :

(*i*) At least two years teaching experience in the related field ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age andeducational qualificationsprescribed for direct recruits will apply in the ase of the promotes.—*Age*: N.A

***Educational qualification* :** N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be record in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—(ii) 100% By Direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—N.A.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N. A.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test and if Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board or other recruiting agency as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting agency as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—(I) CONCEPT.—(*a*) Under this policy, the Primary Teacher (HI) in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(*b*) The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* H.P. SSSB.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(*d*) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.

(II) Contractual Emoluments.—The Primary Teacher (HI) appointed on contract basis will be paid contractual amount @ Rs. 6825/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs. 150/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if considered necessary or expedient by awritten test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* HPSSSB.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.S.S.S.B. from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 6825/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 150/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(*b*) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(*c*) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(*d*) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(*e*) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(*f*) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(*g*) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(*h*) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/permanent absorption in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Primary Teacher(HI) & the Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department

This agreement is made on this.....day of .....in the year.....Between Sh/Smt./Km.....S/o/D/o.....Shri..... R/o..... .....contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Empowerment Himachal Pradesh (here-in-after called (the SECOND PARTY) The Second Party

has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a .. Primary Teacher(HI) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Primary Teacher(HI) for a period of 1 year commencing on day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on..... And information notice shall not be necessary.

2. The contract salary of the FIRST PARTY will be Rs. 6825/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shal not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the appointee.....on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. .....
   .....
   .....
   (Name and Full Address)
2. .....
   .....

.....
(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 जून, 2009

संख्या ई0डी0एन0–ए0–ख (1) 2 / 2008–लूज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0–ए–ख (3) 5 / 99 तारीख 18–3–2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग में प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **संक्षिप्त नाम का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग–1 (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2004 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के विद्यमान संक्षिप्त नाम के स्थान पर निम्नलिखित संक्षिप्त नाम रखा जाएगा, अर्थातः––

''हिमाचल प्रदेश उच्च्तर शिक्षा विभाग प्राचार्य (महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004''

3. **उपाबन्ध–(क) का संशोधन.––**''उक्त नियमों'' के उपाबन्ध 'क' में,––

(क) स्तम्भ संख्या 4 के विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''12,000–420–18,300 रुपये'' (न्यूनतम रुपये 12,840 / – रुपये)

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''हिमाचल प्रदेश शिक्षा सेवाएं (महाविद्यालय संवर्ग) के प्राध्यापकों, जो चयन वेतनमान में हैं अर्थात् जिनका महाविद्यालय संवर्ग में बीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, में से प्रोन्नति द्वारा ।

पद (पदों) को भरने के लिए निम्नलिखित रोस्टर विहित किया जाएगा :–

पहला पद	प्रोन्नति द्वारा
दूसरा पद	प्रोन्नति द्वार
तीसरा पद	प्रोन्नति द्वारा
चौथा पद	सीधी भर्ती द्वारा

रोस्टर को प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात् दोहराया जायेगा रहेगा, जब तक कि दी गई प्रतिशतता द्वारा समस्त प्रवर्गों को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता । तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग में से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त होता है ।

'परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण I.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण II.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :––

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी तथा भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली तथा ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बंगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा–गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के

झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियुणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त ।

(1) प्रान्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पर में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, इनमे से जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और कि जहॉ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहॉ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेषन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचाल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No.EDN-A-Kha (*1*)*-2/2008 *dated.....as required under clause (*3*) of Article* 348 *of the Constitution of India*].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 5*th June*, 2009

No. EDN-A-Kha(1)-2/2008.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H. P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the

Recruitment and Promotion Rules for the post of Principal, (College Cadre) Class- I (Gazetted) in the Higher Education Department, Himachal Pradesh notified *vide* Notification No. EDN-A-Kha (3)5/99 dated 18-3-2004, namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Principal (College Cadre) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of short Title.—For the existing short title of the Himachal Pradesh, Education Department, Principal, College Cadre (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion, Rules, 2004 (hereinafter referred to as the "said rules"), the following short title shall be substituted, namely:—

"The Himachal Pradesh, Higher Education Department, Principal (College Cadre), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2004"

3. Amendment of Annexure "A".—In Annexure "A" to the "said rules",

(a) for the existing provision against Col. No. 4 the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 12,000-420-18300 (Minimum at Rs. 12,840/-)"

(b) for the existing provision against Col. No. 11 the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Lecturers, Himachal Pradesh Education Services (College Cadre) who are in the selection scale *i.e.* 20 years of regular service in College Cadre.

For filling up the post(s) the following roster shall be prescribed:—

1st Post	Promotees
2nd Post	Promotees
3rd Post	Promotees
4th Post	Direct

The roster will be repeated after every 04 point till the representation to all the categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy is to be filled up from the category, which vacates the posts.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/ difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Ttehsil, in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrebar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in the these rules for promotion subject to the condition that *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue, of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 years or that prescribed in the R & P Rules for the post whichever is less.

Provided further that whether that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding, proviso the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion/ confirmation.

EXPLANATION.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh State Non-technical Services), 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules;

Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service as referred to above shall remain unchanged."

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित